



## प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेंट गाजियाबाद दिनांक 02.06.2025

लूट करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की गयी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही

श्रीमान पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिण्डन जोन, कमि० गाजियाबाद श्री निमिष पाटील के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपराध नियंत्रण हेतु थाना कौशाम्बी पर समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त 02 शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध 2/3 उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलापों (निवारण) अधि० 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त कार्यवाही से अपराध व आपराधिक गतिविधियों में अकुंश लगेगा।

लूट की घटनाएं कारित कर अनुचित तरीके से धनोपार्जन करने वाले उक्त गिरोह के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर मु०अ०सं० 0247/25 धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलापो (निवारण) अधि० 1986 बनाम निम्नोक्त पंजीकृत कराया गया व इनके अवैध क्रिया कलापों से अर्जित की गयी सम्पूर्ण सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

क्र०सं०	अभियुक्त का नाम व पता	पंजीकृत गैंग	कुल पंजीकृत अभियोगों की संख्या
1	विकास पुत्र मनोज कुमार नि० म०सं० 847 विद्या मंदिर स्कूल के पास थाना लिंक रोड जनपद गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष।	लूट जैसे अपराधों से संबंधित डी – 357/2025	5
2	अंकित कुमार पुत्र सुरेश सिंह मूल नि० ग्राम पूर थाना पगड़ी जनपद बलिया, हाल पता लाला का मकान रामलीला मैदान के पास, कड़कड़ मॉडल थाना लिंक रोड जनपद गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष।	लूट जैसे अपराधों से संबंधित डी – 357/2025	5

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा दो पहिया वाहन चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 मोटर साईकिल व 01 फर्जी नंबर प्लेट बरामद।

दिनांक 01/02.06.25 की रात्रि मे थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा रात्रि गश्त / चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर दो पहिया वाहन चोरी करने वाले दो शातिर अभियुक्त 1. नकुल मलिक पुत्र अनु मलिक निवासी एफ 433 गली नं०-8 गोकुलपुरी थाना गोकुलपुरी दिल्ली उम्र करीब 28 वर्ष, 2. सोनू सोनी पुत्र संजय सोनी निवासी एफ-

93 गली नं0-1 गंगाबिहार गोकुलपुरी थाना गोकुलपुरी दिल्ली उम्र करीब 30 वर्ष को थाना इन्दिरापुरम क्षेत्रान्तर्गत ग्रीन बैल्ट शमशान घाट की ओर जाने वाली सडक से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से चोरी की 02 मोटर साइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त नकुल मलिक व सोनू सोनी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 317(2),345(3) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण:-** गिरफ्तार अभियुक्त नकुल मलिक व सोनू सोनी से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि दोनों अभियुक्तों ने मिलकर एक मोटर साइकिल को करीब बीस दिन पहले अशोक मेडिकल सेन्टर सी-1 ब्लॉक यमुना बिहार दिल्ली से चोरी किया था, तथा दूसरी मोटर साइकिल को दोनों अभियुक्तों द्वारा करीब 06 महिने पहले नन्दनगरी दिल्ली से चोरी किया था। दिनांक 01/02.06.2025 की रात्रि को दोनों अभियुक्तगण उक्त दोनों मोटर साइकिल को बेचने की फिराक में जिसमें से एक मोटर साइकिल पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर ग्रीन बैल्ट शमशान घाट की ओर जाने वाली सडक पर घूम रहे थे।

### **गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-**

1. नकुल मलिक पुत्र अनु मलिक निवासी एफ 433 गली नं0-8 गोकुलपुरी थाना गोकुलपुरी दिल्ली उम्र करीब 28 वर्ष।
2. सोनू सोनी पुत्र संजय सोनी निवासी एफ-93 गली नं0-1 गंगाबिहार गोकुलपुरी थाना गोकुलपुरी दिल्ली उम्र करीब 30 वर्ष।

### **बरामदगी का विवरण:-**

- चोरी की 02 मोटर साइकिल व 01 फर्जी नंबर प्लेट बरामद।

### **गिरफ्तार अभियुक्त नकुल मलिक का आपराधिक:-**

- गिरफ्तार अभियुक्त नकुल के विरुद्ध दिल्ली के विभिन्न थानों पर चोरी के 05 अभियोग व थाना इन्दिरापुरम पर 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 06 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- गिरफ्तार अभियुक्त सोनू सोनी के विरुद्ध दिल्ली के विभिन्न थानों पर चोरी के 13 अभियोग व थाना इन्दिरापुरम पर 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 14 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

**थाना ट्रानिका सिटी पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल, 03 साइलेन्सर व घटना में प्रयुक्त एक थैले में टूल्स सामान, 02 चाबी/पोना, 01 पेंचकस, 01 प्लास, 01 पाइप रिच, 01 हथौडा बरामद**

आज दिनांक 02.06.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त 1. मोनिस पुत्र खलील अहमद निवासी सगाना फार्म हाउस के पास अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष 2. इमरान पुत्र मौहम्मद अहमद निवासी बाबू होटल वाली गली अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष को चौकी क्षेत्र पुस्ता से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल, 03 साइलेन्सर व घटना में प्रयुक्त एक थैले में टूल्स सामान, 02 चाबी / पोना, 01 पेंचकस, 01 प्लास, 01 पाइप रिंच, 01 हथौडा बरामद हुए। उपरोक्त मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में ई-पुलिस स्टेशन एमवी थैफ्ट दिल्ली में चोरी का अभियोग पंजीकृत है तथा उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा 317(2)/317(5) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

### पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि हम आपस में एक दूसरे को काफी दिनों से जानते हैं हम दोनों रैकी करके वाहन व वाहनों से साइलेन्सर चोरी कर लेते हैं तथा उनको खोलकर उनके पार्ट्स को बेच देते हैं। हमने यह साइलेन्सर कुछ समय पहले पिक-अप व ईको कार से खोलकर चोरी कर लिये थे तथा यह मोटरसाइकिल दिल्ली से चोरी की थी।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. मोनिस पुत्र खलील अहमद निवासी सगाना फार्म हाउस के पास अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।
2. इमरान पुत्र मौहम्मद अहमद निवासी बाबू होटल वाली गली अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।

### बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल, 03 साइलेन्सर व घटना में प्रयुक्त एक थैले में टूल्स सामान, 02 चाबी / पोना, 01 पेंचकस, 01 प्लास, 01 पाइप रिंच, 01 हथौडा बरामद।

### आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त मोनिस के विरुद्ध थाना लोनी पर मारपीट व धमकी देने के संबंध में 01 अभियोग, दिल्ली में चोरी का 01 अभियोग व थाना ट्रोनिका सिटी पर चोरी का वाहन व माल बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है।

(कुल अभियोग-03)

अभियुक्त इमरान के विरुद्ध थाना इन्द्रापुरम पर चोरी के 03 अभियोग, थाना साहिबाबाद पर चोरी का 01 अभियोग, दिल्ली में चोरी का 01 अभियोग व थाना ट्रोनिका सिटी पर चोरी का वाहन व माल बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। (कुल अभियोग-06)

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

### गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

### थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की कार सहित अभियुक्ता गिरफ्तार।

आज दिनांक 02.06.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्रीन पार्क कॉलोनी थाना मोदीनगर से अभियुक्ता सोनिया सांगवान पत्नी स्व0 जितेन्द्र सांगवान निवासी ग्रीन पार्क कॉलोनी थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद स्थाई पता ग्राम नूरपुर जलालाबाद थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की 01 कार बरामद हुई। उक्त कार के संबंध में थाना क्वार्सी जिला अलीगढ में धारा 303(2) बीएनएस

के अन्तर्गत चोरी का अभियोग पंजीकृत है तथा उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्ता के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर धारा 317(2)/345(3)/317(5) BNS के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

### पूछताछ का विवरण-

अभियुक्ता ने पूछताछ के दौरान कि यह चोरी की कार मुझे अंकित चौधरी ने लाकर दी थी। हम लोगों ने इस कार पर आगे-पीछे फर्जी नम्बर प्लेट लगा दी थी और मैं इसको प्रयोग कर रही थी।

### गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-

सोनिया सांगवान पत्नी स्व0 जितेन्द्र सांगवान निवासी ग्रीन पार्क कॉलोनी थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद स्थाई पता ग्राम नूरपुर जलालाबाद थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद उम्र करीब 43 वर्ष।

### बरामदगी का विवरण-

कब्जे से फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की 01 कार बरामद।

### आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्ता के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर उपरोक्त चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

### गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

**थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 01शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 1100 ग्राम अवैध गांजा बरामद।**

दिनांक 02-06-25 को चेकिंग के दौरान थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा नगर निगम मैदान के पास से मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 1100 ग्राम अवैध गांजा बरामद, अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार किये गये अभियुक्त चन्द्रशेखर उर्फ चन्दू उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं नशा व चोरी करने का आदि हूँ, यह गांजा में सस्ते दामो पर मोहननगर से एक अन्जान व्यक्ति से खरीद कर लाता हूँ, और यहां पर लाकर इनसे पैकट बनाकर बेचता हूँ, जिससे मुझे अच्छा मुनाफा मिल जाता है। इसी से मैं अपने शौक पूरे करता हूँ।

### अभियुक्त का नाम व पता-

चन्द्रशेखर उर्फ चन्दू पुत्र ओमप्रकाश निवासी म0न0-20 गली नं0-01 तीस फुटा रोड दीनदयालपुरी नन्दग्राम थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र-27 वर्ष।

### आपराधिक इतिहास-

अभि0 चन्द्रशेखर उपरोक्त के विरुद्ध थाना नन्दग्राम पर 02 अभियोग आबकारी अधि0 व 01 अभियोग एनडीपीएस एक्ट का, थाना सिहानी गेट पर 05 अभियोग आबकारी अधि0 व 02 अभियोग एनडीपीएस एक्ट व 02 अभियोग चोरी, व 01 अभियोग आर्मस एक्ट, व 01 अभियोग गैंगस्टर एक्ट थाना कविनगर पर 01 अभियोग चोरी का, कुल 15 अभियोग कमि0 गाजियाबाद में पंजीकृत है।

### बरामदगी का विवरण-

1100 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

## गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम ।

### **हत्या व अवैध हथियार रखने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की गयी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही**

श्रीमान पुलिस उपायुक्त ग्रामीण जोन, कमिश्नेरट गाजियाबाद श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मुरादनगर पर समाज विरोधी क्रियाकलापो में लिप्त 08 शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध 2/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । उक्त कार्यवाही से अपराध व आपराधिक गतिविधियों में अकुंश लगेगा ।

हत्या व अवैध हथियार रख अनुचित तरीके से धनोपार्जन करने वाले उक्त गिरोह के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर मु0अ0सं0 279/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 बनाम निम्नोक्त पंजीकृत कराया गया व इनके अवैध क्रिया कलापो से अर्जित की गयी सम्पूर्ण सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत चिन्हित कर जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी ।

क्र0 सं0	अभियुक्त का नाम व पता	पंजीकृत गैंग	कुल पंजीकृत अभियोगों की संख्या
1	शेखर चौधरी पुत्र प्रेम सिंह निवासी ग्राम उखलारसी थाना मुरादनगर कमि0 गाबाद उम्र 35 वर्ष	हत्या जैसे अपराधों से संबंधित डी-253/2024	25
2	सोनू उर्फ तरुण पुत्र प्रेम सिंह निवासी ग्राम उखलारसी थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष	हत्या जैसे अपराधों से संबंधित डी-253/2024	2
3	साहिर पुत्र मुनसब नि0 कस्बा बनत थाना आदर्श मण्डी जिला शामली उम्र 20 वर्ष	हत्या जैसे अपराधों से संबंधित डी-253/2024	3
4	सन्तोष पत्नि प्रेम सिंह नि0 ग्राम उखलारसी थाना मुरादनगर गा0बाद जिला उम्र 54 वर्ष	हत्या जैसे अपराधों से संबंधित डी-253/2024	2
5	योगेश पुत्र राज कुमार निवासी ग्राम उखलारसी थाना मुरादनगर गा0बाद 32 वर्ष	हत्या जैसे अपराधों से संबंधित डी-253/2024	1
6	नितिन उर्फ मोन्टी उर्फ फटफट पुत्र ब्रह्मपाल निवासी ग्राम उखलारसी थाना मुरादनगर गा0बाद उम्र 32 वर्ष	हत्या जैसे अपराधों से संबंधित डी-253/2024	1
7	अंकित उर्फ पण्डित पुत्र ओमवीर सिंह उर्फ पप्पू निवासी ग्राम नूरपुर थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद	हत्या जैसे अपराधों से संबंधित डी-193/2011	15

8	आयुष राणा पुत्र संजीव राणा नि० कस्बा व बनत थाना आदर्श कालोनी मण्डी जिला शामली उम्र 22 वर्ष	हत्या जैसे अपराधों से संबंधित डी-253/2024	6
---	--	---	---

**वाहन चोरी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की गयी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही**

श्रीमान पुलिस उपायुक्त ग्रामीण जोन, कमिश्नेट गाजियाबाद श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना ट्रोनिका सिटी पर समाज विरोधी क्रियाकलापो में लिप्त 05 शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध 2/3 उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधि० 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त हिमांशु वर्मा पुत्र संजय वर्मा हाल निवासी ग्राम दौलतनगर, सलीम की परचून की दुकान के पास थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष पूर्व से जेल में निरुद्ध है। उक्त कार्यवाही से अपराध व आपराधिक गतिविधियों में अंकुश लगेगा।

वाहन चोरी करके अनुचित तरीके से धनोपार्जन करने वाले उक्त गिरोह के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर मु०अ०सं० 263/25 धारा 2/3 उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधि० 1986 बनाम निम्नोक्त पंजीकृत कराया गया व इनके अवैध क्रिया कलापो से अर्जित की गयी सम्पूर्ण सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत चिन्हित कर जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

क्र० सं०	अभियुक्त का नाम व पता	पंजीकृत गैंग	कुल पंजीकृत अभियोगों की संख्या
1	1-. बिलाल पुत्र हामिद नि० मौ० इकराम नगर, पारसी लाल स्कूल के सामने लोनी गा०बाद उम्र 22 वर्ष (गिरफ्तार)	वाहन चोरी जैसे अपराधों से संबंधित डी- 330/2024	10
2	इरशाद पुत्र इमामुद्दीन नि०- 100, फुटा रोड, 02 नंबर, आर्य नगर लोनीगा०बाद उम्र 42 वर्ष (गिरफ्तार)	वाहन चोरी जैसे अपराधों से संबंधित डी- 330/2024	10
3	रजीम पुत्र मौ० आसिम हाल नि०- ग्राम दौलतनगर, सलीम की परचून की दुकान के सामने थाना ट्रोनिका सिटी गा०बाद उम्र 40 वर्ष (गिरफ्तार)	वाहन चोरी जैसे अपराधों से संबंधित डी- 330/2024	11
4	समद पुत्र अली शेर नि० चमनपार्क, गली नंबर-03, मुस्तफाबाद दिल्ली उम्र 21 वर्ष (गिरफ्तार)	वाहन चोरी जैसे अपराधों से संबंधित डी- 330/2024	10

**लूट करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की गयी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही**

श्रीमान पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिण्डन जोन, कमि० गाजियाबाद श्री निमिष पाटील के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपराध नियंत्रण हेतु थाना टीलामोड़ पर समाज विरोधी क्रियाकलापो में लिप्त 02 शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध 2/3 उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलापो (निवारण)

अधि० 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त कार्यवाही से अपराध व आपराधिक गतिविधियों में अंकुश लगेगा।

लूट की घटनाएं कारित कर अनुचित तरीके से धनोपार्जन करने वाले उक्त गिरोह के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर मु०अ०सं० 0216/25 धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलापों (निवारण) अधि० 1986 बनाम निम्नोक्त पंजीकृत कराया गया व इनके अवैध क्रिया कलापों से अर्जित की गयी सम्पूर्ण सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

क्र०सं०	अभियुक्त का नाम व पता	पंजीकृत गैंग	कुल पंजीकृत अभियोगों की संख्या
1	गुड्डू उर्फ शादाब पुत्र शेख अफसर नि० ग्राम नागली थाना नहतौर जनपद बिजनौर, हाल पता म०सं० 70 डी ब्लॉक गली नं० 03 श्रीराम कॉलोनी, सहीस के मकान के पास कच्ची खजूरी थाना खजूरी दिल्ली उम्र 27 वर्ष	लूट जैसे अपराधों से संबंधित डी – 337/2025	4
2	लकी उर्फ लक्की वर्मा पुत्र सुभाष वर्मा नि० डी 212 गढ़ी मेन्डू भजनपुरा थाना भजनपुरा दिल्ली, हाल पता म०सं० डी 186/105 निकट हैप्पी टाइम पब्लिक स्कूल थाना भजनपुरा दिल्ली उम्र 32 वर्ष (गिरफ्तार)	लूट जैसे अपराधों से संबंधित डी – 337/2025	4

### चोरी करने वाले गैंग के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए 02 अभियुक्तगण की गिरफ्तारी -

श्रीमान पुलिस उपायुक्त नगर जोन, कमि० गाजियाबाद श्री धवल जयसवाल के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपराध नियंत्रण हेतु थाना कोतवाली नगर पर समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त 02 शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध 2/3 उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलापो (निवारण) अधि० 1986 का अभियोग दिनांक 31.05.25 को मु०अ०सं० 0230/25 धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलापो (निवारण) अधि० 1986 पंजीकृत किया गया था।

पंजीकृत अभियोग उपरोक्त मे दोनो अभियुक्त नामजद थे तथा वांछित चल रहे थे जिनकी गिरफ्तारी हेतु टीम गठन कर आज दिनांक 02.06.25 को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इनके अवैध क्रिया कलापो से अर्जित की गयी सम्पूर्ण सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

### गिरफ्तार किये गये गैंगलीडर व सदस्य का विवरण:-

क्र०सं०	अभियुक्त का नाम व पता	पंजीकृत गैंग	कुल पंजीकृत अभियोगों की संख्या
1	रोहित जाटव पुत्र जसवन्त सिंह निवासी पिपलैडा शिव मंदिर के पीछे थाना धौलाना हापुड हाल निवासी किराये	चोरी जैसे अपराधों से संबंधित	4

	का मकान गौतम पुत्र किरण पाल उर्फ किन्नू का मकान ग्राम पतवाडी थाना बिसरख कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर उम्र 21 वर्ष	डी – 358/2025	
2	सोनू बालिमकी पुत्र फीरे सिंह निवासी ग्राम पतवाडी थाना बिसरख कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर उम्र 21 वर्ष	चोरी जैसे अपराधों से संबंधित डी – 358/2025	3